न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/भोपाल/भू.रा./2017/3192 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2017 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी-2508/पीबीआर/16.

---

1. डॉ. भरत चतुर्वेदी पुत्र डॉ. श्री बी.एन. चतुर्वेदी
2. रवि कुमार चतुर्वेदी पुत्र डॉ. श्री बी.एन. चतुर्वेदी

दोनों निवासी-म.नं. 39, गली नं. 1, कोल्ड स्टोरेज के पास, छोला नाका भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

देवबक्श पुत्र स्व. श्री रामकिशन परमार
निवासी ग्राम लहारपुर, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल, मध्यप्रदेश .....अनावेदक

श्री राकेश गिरि, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह रिव्यू म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 04.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष उसके संयुक्त स्वामित्व की भूमि ग्राम लहारपुरा स्थित सर्वे नंबर 68, 72, 81, 85, 110/2/1, 153/2, 158/1, 167/1, 169, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 203, 204/1, 208, 209 एवं 213 कुल किता 22 रकबा 2.720 हैक्टेयर के बंटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-27/10-11 दर्ज किया जाकर दिनांक

15.12.2010 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का बंटवारा आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वे वाद भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षकारों एवं अपीलार्थीगण सहित चौहदी के काश्तकारों को आहूत कर उनके समक्ष वादित भूमि का फर्द बटान एवं फर्द नक्शा तैयार करें तथा विधिवत पंचनामा सहित फर्द बटान एवं फर्द नक्शा इस न्यायालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.07.2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 04.07.2017 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक देवबक्श ने उपरोक्त समस्त वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण को संहिता की धारा 178 के तहत सहखातेदारों के मध्य बंटवारे का प्रकरण बताते हुए प्रस्तुत की, जबकि सहखातेदारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं हुई, बल्कि भूमि के फर्द बटान के नक्शे को लेकर विवाद था, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नक्शे पर फर्द बटान दर्ज कर विधिवत पंचनामे तैयार करने के उपरांत फर्द बटान का नक्शा अनुमोदित कराने का आदेश तहसीलदार को दिया था, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तित आदेश नहीं था।

(2) देवबक्श ने उपरोक्त सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये इस न्यायालय के समक्ष भूमि के बंटवारे का प्रकरण बताकर पुनरीक्षण प्रस्तुत की थी, इसलिये इस न्यायालय ने अनावेदक देवबक्श की ओर प्रस्तुत पुनरीक्षण को इसी आधार पर मान्य कर लिया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष भूमि के बंटवारे का विवाद है, जबकि वास्तविक रूप में अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि के बंटवारे का कोई विवाद नहीं था, बल्कि भूमि से संबंधित नक्शे पर फर्द बटान को लेकर विवाद था।

(3) आवेदकगण डॉ. भरत कुमार चतुर्वेदी एवं रवि कुमार चतुर्वेदी एवं अनावेदक देवबक्श एक ही परिवार के सदस्य नहीं है, इसलिये उसके मध्य भूमि के बंटवारे का विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता। आवेदकगण डॉ. भरत कुमार चतुर्वेदी एवं रवि कुमार चतुर्वेदी ने जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय की है, उसमें अनावेदक देवबक्श का कोई हिस्सा नहीं। इस कारण इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्र.क्र. 2508/पीबीआर/16 देवबक्श विरूद्ध डॉ. भरत चतुर्वेदी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 के पुनर्विलोकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2017 के आधार पर आवेदकगण के वैधानिक हित प्रभावित होंगे तथा पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्ता बढ़ेगी।

अत: उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.08.2008 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2014 यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक का तर्क था कि प्रश्नाधीन बंटवारा की कार्यवाही के दौरान स्थल पर बंटान भी किया गया है, जिसके आधार पर अनावेदक कब्जे की कार्यवाही कर रहा है। अत: उक्त कार्यवाही में उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी ने फर्द बंटान एवं अक्स बंटान मंगाने की कार्यवाही के जो निर्देश दिये थे, वह उचित थे तथा उसमें उभय पक्ष के हित सुरक्षित रहेंगे। आवेदक के उक्त तर्क के प्रकाश में इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2017 को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त किया जाता है। प्रकरण में क्योंकि नियमानुसार बंटवारे के दौरान ही अक्स बंटान भी किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने इस कार्यवाही का प्रस्ताव मांगने में कोई त्रुटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर रहेगा। अत: मूल निगरानी प्रकरण निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.08.2014 की पुष्टि की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर